

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 349/2024

1. हार्दिक बिश्नोई पुत्र कवीश बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. इन्द्रावती पुत्री दौलाराम
2. इन्दिरा देवी पत्नी कुलदीप
3. समीना पत्नी कविश
4. आकाक्षा पुत्री कविश

जाति बिश्नोई निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।



डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक... 10/01/25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 3 एफटीपी के खाता सं० 12/12 में प०न० 213 / 235 मु० 27 किलानं० 11, 19, 20, 21, 22, प०न० 213/236 मु० 32 किलानं० 2,3,8, 10/2/.127, 12/2/127, 13/.152 भूमि को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक चक नं० 3 एफटीपी के खातासं० 12/12 में से प्रतिवादीयासं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/01/25..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी